राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
TELEX : 0141-2993119 EMAIL ID : MSRGY@RAJASTHAN.GOV.IN WEBSITE :WWW.MSRGY.RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांकःएफ56(क)(21915)CE/DLB/MSRGY/2025/ 8842-8857 दिनांकः 06/06/2025

जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक,
मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना (MSRGY),
जिला–अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, डीडवाना–कुचामन, नागौर, चुरू, धौलपुर, करौली, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, बालोतरा, सिरोही, झालावाड़, प्रतापगढ़।

विषयः–मार्च 2025 में नवगठित 25 नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्यों के क्रियान्वयन बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संलग्न विभागीय अधिसूचनाओ के अनुसार मार्च 2025 में ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित 25 नगरीय निकायों (नवगठित) में जरूरतमंद परिवारों को मांग अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्य प्रारम्भ किये जाने है।

नियमित कार्मिकों के अभाव में उक्त नवगठित नगर पालिकाओं में योजना का क्रियान्वयन समीपवर्ती प्रभारी नगरीय निकाय के माध्यम से करवाया जाना है। कार्य सम्पादन हेतु निम्नलिखित सूची अनुसार निकटतम नगरीय निकायों को प्रभारी नगरीय निकाय निर्धारित किया जाता हैः–

क्र. सं.	संभाग	जिला	चतुर्थ श्रेणी नवगठित नगर पालिका का नाम	MSRGY कार्यों के सम्पादन हेतु निर्धारित प्रभारी नगरीय निकाय
1	अजमेर	अजमेर	पीसांगन	नगर परिषद, पुष्कर
2	अजमेर	भीलवाड़ा	बीगोद	नगर पालिका, माण्डलगढ़
3	अजमेर	भीलवाड़ा	बनेड़ा	नगर पालिका, आसींद
4	अजमेर	ब्यावर	रायपुर	नगर परिषद, ब्यावर
5	अजमेर	डीडवाना–कुचामन	खाटू खुर्द	नगर परिषद, डीडवाना
6	अजमेर	नागौर	रियांबडी	नगर पालिका, डेगाना
7	बीकानेर	चुरू	साहवा	नगर पालिका, तारानगर
8	भरतपुर	धौलपुर	मनिया	नगर परिषद, धौलपुर
9	भरतपुर	धौलपुर	सैपऊ	नगर परिषद, धौलपुर
10	भरतपुर	करौली	सूरौठ	नगर परिषद, हिण्डौनसिटी
11	जयपुर	जयपुर	कालाडेरा	नगर परिषद, चौमू
12	जयपुर	जयपुर	कानोता	नगर पालिका, बस्सी
13	जयपुर	जयपुर	खेजरोली	नगर निगम, जयपुर हैरिटेज
14	जयपुर	झुंझुनू	बुहाना	नगर पालिका, सूरजगढ़
15	जयपुर	झुंझुनू	मलसीसर	नगर परिषद, झुन्झुनू
16	जयपुर	झुंझुनू	मण्ड्रेला	नगर पालिका, पिलानी
17	जयपुर	सीकर	पलसाना	नगर पालिका, रींगस
18	जोधपुर	जोधपुर	मथानिया	नगर निगम, जोधपुर (दक्षिण)
19	जोधपुर	बालोतरा	जसोल	नगर परिषद, बालोतरा
20	जोधपुर	बालोतरा	समदड़ी	नगर पालिका, सिवाना
21	जोधपुर	सिरोही	मण्डार	नगर पालिका, आबूरोड

क्र. सं.	संभाग	जिला	चतुर्थ श्रेणी नवगठित नगर पालिका का नाम	MSRGY कार्यों के सम्पादन हेतु निर्धारित प्रभारी नगरीय निकाय
22	कोटा	झालावाड़	डग	नगर पालिका, भवानीमण्डी
23	कोटा	झालावाड़	खानपुर	नगर पालिका, झालरापाटन
24	कोटा	झालावाड़	मनोहरथाना	नगर पालिका, अकलेरा
25	उदयपुर	प्रतापगढ़	अरनोद	नगर परिषद, प्रतापगढ़

उक्तानुसार प्रभारी नगरीय निकाय द्वारा आवंटित नगर पालिका में MSRGY योजनान्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों अनुसार कार्यों का चयन कर, कार्यों का तकमीना तैयार कर, सक्षम स्तर से तकनीकी जांच करवाकर, कार्य योजना तैयार कर जिले की नोडल निकाय के माध्यम से जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित करवाया जाना है। तत्पश्चात् कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करवाकर विभागीय SoP के अनुसार सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति उपरांत वांछित दस्तावेजों के साथ मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के पोर्टल पर सूचना अपलोड कर कार्य की मस्टररोल जारी कर नवगठित नगरीय निकाय में योजना के क्रियान्वयन कि कार्यवाही की जानी है।

प्रभारी निकाय के नियमित प्रशासनिक, तकनीकी एव लेखा अधिकारियों द्वारा नियमानुसार योजनान्तर्गत आवश्यक स्वीकृतिया जारी कर कार्मिकों के माध्यम से नवगठित निकायों हेतु कार्यों का चयन कर, कार्यों का तकमीना तैयार कर, सक्षम स्तर से तकनीकी जांच करवाकर, कार्य योजना तैयार करावें एवं कार्यों के अनुमोदन पश्चात् व प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी होने के उपरान्त मस्टररोल जारी करवाकर कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें तथा प्रतिदिन श्रमिकों की उपस्थिति पोर्टल पर इन्द्राज करवाकर पखवाड़ा समाप्ति के 15 दिवस में मस्टररोल/माप पुस्तिका पूर्ण एवं सत्यापित कर पोर्टल पर ऑनलाईन प्रविष्टि के माध्यम से बिल भुगतान की कार्यवाही करवाते हुए, आवंटित नवगठित निकायों में कार्यों को संपादित करवाया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त प्रयोजनार्थ आपके जिले की निकायों में योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों यथा शहरी रोजगार सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक एवं एम.आई.एस. मैनेजर को नवगठित नगरीय निकायों में अतिरिक्त रूप से उपयोग में लिया जा सकता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2023–24 में गठित 42 नगरीय निकायों एवं वर्ष 2024–25 में गठित नवीन 52 (27+25) नगरीय निकायो के लिये कोई भी संविदा कार्मिको के पद स्वीकृत नही किये गये है। योजनान्तर्गत इन नगरीय निकायों में किसी भी प्रकार की कोई नवीन संविदा नियुक्तिया पूर्व में जारी विज्ञप्तियां से नही की जावे।

प्रभारी नगरीय निकाय द्वारा आवंटित उक्त नवगठित नगर पालिकाओं में योजना क्रियान्वयन से संबंधित समस्त प्रस्ताव, स्वीकृतियां, कार्ययोजना, तकमीने, फोटोग्राफ, मस्टररोल, बिल एवं अन्य सम्बन्धित दस्तावेज, आंकडे एवं लेखा विवरण का पृथक से संधारण करवाया जाना सुनिश्चित करावें, जिससे इस सम्बन्ध में समय–समय पर विभिन्न स्तर पर चाही गई आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।

अतः उक्तानुसार आपके जिले की उक्त नवगठित नगर पालिकाओं में प्रभारी नगरीय निकायों के माध्यम से मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्य क्रियान्वित करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

यह वित्त विभाग की आई.डी. सं. 172501176 दिनांक 02.06.2025 द्वारा अनुमोदित है।

(इन्द्रजीत सिंह)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकः एफ56(क)(21915)CE/DLB/MSRGY/2025/ 8858-8927 दिनांकः 06/06/2025

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, राजस्थान, जयपुर।

3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त/आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त एवं सचिव, सूचना प्रोद्यौगिकी और संचार विभाग (DoIT &C), राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर।
10. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार/परियोजना निदेशक (MSRGY), स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. सचिव भर्ती आयोग निदेशालय, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. संयुक्त निदेशक (जन सम्पर्क), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) आई.टी., निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (MSRGY), जिला स्तरीय नोडल नगरीय निकाय एवं कार्य संपादन हेतु बनायी गई नोडल नगरीय निकाय के मध्य समन्वयक कर नवीन नगरीय निकाय में कार्य प्रारंभ करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
16. संबंधित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता एवं वित्तीय सलाहकार/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/लेखाकार, जिला स्तरीय नगरीय निकाय को निर्देशित किया जाता है कि योजना के पूर्व दिशा–निर्देशानुसार कार्य संपादन हेतु बनायी गई नोडल नगरीय निकाय से कार्य प्रारंभ करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराते हुए जिला परियोजना समन्वयक से कार्यों की स्वीकृति कराकर पोर्टल पर कार्य अपलोड करवाकर कार्य कार्य प्रारंभ करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
17. प्रभारी नगरीय निकायों के आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता तथा वित्तीय सलाहकार/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/लेखाकार को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित नवगठित नगर पालिका में कार्य प्रारंभ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर जिला स्तरीय नोडल नगरीय निकाय के माध्यम से जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक को प्रस्तुत कर कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर कार्य प्रारंभ करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
18. स्टेट एम. आई. एस मैनेजर (MSRGY), को पोर्टल पर अपलोड किये जाने बाबत्।
19. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं शासन सचिव